फर्द अहकाम

बीच बनाम राजस्थान

नाम न्यायालय

केस संख्या 9/90 - 198/23

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	11/9/23	मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया। मुख्तयार शाफ ये राजेश कुमार पुत्र हरनाथ जाति ब्राह्मण उम्र करीब [illegible] वर्ष निवासी [illegible] पा वालावी विधान ए-बैनाड रोड गोपालपुरा जयपुर के बिना आना बताया है। वकील वादीगण एवं वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वाद बिन्दु में पेश कर निवेदन किया गया है कि उपरोक्त झूठवानी प्रकरण के वादी मुरारी लाल की प्रकरण संख्या 274/2002 के डाय डिक्री दिनांक 02/01/2002 को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जयपुर योजना बी-3 के संबंध दिनांक 08/9/2002 के 90 बी की कार्यवाही की गयी भूमि अन्यत्र हेतु सम्परिवर्तित की गयी प्रकरण में 90 बी की कार्यवाही JDA द्वारा किये जाने के पश्चात् एवं मौके पर कॉलोनी विकसित होने के कारण उभयपक्ष को सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त था। लेकिन जानकारी के अभाव में वादी द्वारा उक्त वाद राजस्व न्यायालय में [illegible] किया गया। प्रकरण वादी द्वारा विधिक जानकारी अधिवक्ता [illegible] जाने के पश्चात् वाद सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस कारण अब इस न्यायालय में अन्य किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। इसलिये प्रार्थी अपने वाद को सक्षम न्यायालय में वाद जोड़ी के विकल्प के साथ विड्रा करना चाहता है। इसलिये वादी के वाद को विड्रा किया जावे। वादी द्वारा विधिक जानकारी होने के पश्चात् विवादग्रस्त भूमि के संबंध में एक सिविल वाद संख्या 493/2020 झूठवानी कैलाशचन्द एवं अन्य बनाम पन्नाराम एवं अन्य माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया जो वर्तमान में माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

फर्द अहकाम

सत्यनारायण पालीवाल
न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम

बो/द वनाम [illegible]

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/9/23	एफ.टी.सी.-2 जयपुर मेट्रोनगर द्वितीय जयपुर के समक्ष [illegible] प्रार्थिका [illegible] स्वीकार करवाया जाकर उपस्थित वाद पत्र को सहित न्यायालय में धारा [illegible] के साथ विवाह के साथ एवं अधिनियम में गुजारा भत्ता प्रमुख करने इजाजत के साथ उक्त वाद को विड्रॉ कर निस्तारित किया जाने की व्यवस्था की। वकील वादिनी की पहचान अभि. अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार शर्मा ने की। वकील वादी। वादिका द्वारा प्रार्थिका पक्ष एवं पुनः वादपत्र एवं मूल्य प्रमाण पक्ष का अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा प्रेम प्रार्थिका पक्ष वाद विड्रॉ को यथावत स्वीकार करवाया जाता है। तथा वकील वादी को सहित न्यायालय में [illegible] करने के साथ अधिवक्ता [illegible] शुल्क [illegible] करने की इजाजत के साथ वाद विड्रॉ प्रार्थिका पक्ष स्वीकार किया जाता है। वकील वादी का वाद विड्रॉ प्रार्थिका पक्ष स्वीकार होने से वकील वादी का वाद विड्रॉ किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर का होकर [illegible] हुआ होकर [illegible] प्रकार है। दिनांक 11/09/23 को [illegible] किया जाता है।	

सत्यनारायण पालीवाल
जयपुर महानगर प्रथम